आरक्षित भूमि का सामान्य आवंटन, 69 मामले उजागर

सरकार को राजस्व की हानि, पूर्व एस.डी.एम. को चार्जशीट थमाई

बीकानेर, । सीमावर्ती क्षेत्र बज्जू में विशेष आवंटन के लिए आरक्षित भूमि का सामान्य में आवंटन का मामला सामने आया है। इससे सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग गया। इसके लिए तत्कालीन एसडीएम हरी सिंह को दोषी मानते हुए 16सीसीए के तहत चार्जशीट जारी की गई है। ऐसे 69 गलत आवंटनों को खारिज करने की तैयारी की जा रही है।

बज्जू उपखंड में 2021 से 2023 तक बड़ी संख्या में भूमिहीन कृषकों को जमीनों का आवंटन हुआ था। उस दौरान गजट में प्रकाशित विशेष आवंटन की जमीन भी सामान्य श्रेणी में चहेतों को आंवटित कर दी गई। तहसील में विशेष आवंटन के 486 मामले पेंडिंग पड़े थे। केवल एक किसान को ही विशेष आवंटन हुआ, बाकी 69 को विशेष आवंटन की जमीनें सामान्य में आवंटित कर दी गईं। कुछ मामले पूर्व सैनिकों के भी थे। विधानसभा में सवाल उठाने के बाद सरकार की आंख खुली। राजस्व विभाग ने एडीएम सिटी की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई। जांच के दौरान आवंटन की प्रक्रिया में भारी खामियां पाई गईं। कृषि भूमि का सामान्य या विशेष आवंटन करने के लिए आवंटन कमेटी होती है, जिसमें प्रकरण रखे जाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को अपनाया ही नहीं गया। तत्कालीन बज्जू एसडीएम के पास कोलायत का भी चार्ज रहा है।

आरोप है कि उस दौरान जिप्सम खनन क्षेत्र और कपिल सरोवर के कैचमेंट एरिया में भी जमीनों का आवंटन सामान्य श्रेणी में कर दिया गया। हालांकि शिकायत होने के बाद वह आवंटन निरस्त कर दिए गए थे। इन सभी आवंटनों को खारिज करने की सिफारिश जांच कमेटी ने की है।

यदि आरक्षित जमीनों का आवंटन खुली बोली से होता तो सरकार को करोड़ों का राजस्व मिलता। धारा 22(3) के तहत अब तक 49 प्रकरण कलेक्टर कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। बाकी मामले विभिन्न न्यायालयों में वाद में लंबित के कारण तहसील को दस्तावेज नहीं मिल रहे। इस प्रकरण में आवंटन/मोहरबंद आवंटन के लिए आरक्षित भूमि को सामान्य आवंटन श्रेणी में आवंटित करने पर बज्जू के तत्कालीन आवंटन अधिकारी हरी सिंह शेखावत के खिलाफ कार्मिक विभाग ने 16 सीसीए के तहत चार्जशीट जारी करते हुए अनियमितताओं के तीन बिंदुओं पर जवाब मांगा है।

गंगा कैचमेंट में 31 खातेदारों की खातेदारी निरस्त करने की तैयारी

कोलायत तहसील के गंगा सरोवर कैचमेंट एरिया में क्ले का अवैध खनन और निर्गमन कर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले 31 खातेदारों की खातेदारी निरस्त करने की तैयारी की जा रही है। इसी एरिया में हजारों टन अवैध खनन की चार नई एफआईआर गजनेर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है।

गंगा सरोवर में सालों तक क्ले का जमकर अवैध खनन और निर्गमन हुआ है। खान एवं भूविज्ञान विभाग ने जहां से अवैध खनन हुआ, उस जमीन के खातेदारों की खातेदारी निरस्त कराने के लिए कोलायत तहसीलदार को पत्र लिखा है। एसएमई एनके बैरवा के निर्देश पर एमई धीरज पंवार की ओर से 31 खातेदारों पर अवैध खनन निर्गमन करने किए जाने की जानकारी देते हुए उनकी खातेदारी निरस्त करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा फोरमैन रमेश गहलोत की ओर से गंगापुरा कैचमेंट एरिया में अलग-अलग पिटों से हजारों टन अवैध खनन करने पर खातेदारों के खिलाफ गजनेर पुलिस थाने में चार नई एफआईआर दर्ज कराई है। पूर्व में 22 एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

फोरमैन की ओर से पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि संतोष कुमार सैनी की ओर से गंगापुरा कैचमेंट एरिया के शिव सुथारान में खसरा नंबर 19 के पिट संख्या 3 से और 20540 टन व 41423 टन बॉल क्ले का अवैध खनन किया गया। शेरसिंह व अन्य ने किशनायतन बुधान में खसरा संख्या 107/15 के पिट संख्या पिट संख्या 4 में 50000 टन और पिट संख्या 5 से 47728 टन बॉल क्ले का अवैध खनन किया गया। गौरतलब है कि गंगापुरा कैचमेंट एरिया में खान विभाग की ओर से अन्य खातेदारों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है।

'गड़बड़ियां रोकने के लिए नरेगा में नई व्यवस्था की'

जोधपुर, (कासं)। नरेगा में हो रहे भारी भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सरकार ने योजना में बड़े बदलाव का दावा किया है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद मनरेगा में गड़बडिय़ां सामने आ रही थी, जिन्हें रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। इसी के तहत अब मजदूरों को 100 की जगह 125 दिन रोजगार देने का प्रावधान किया गया है, ताकि जरूरतमंदों को ज्यादा काम और आय का सहारा मिल सके। रविवार को जोधपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर विपक्ष के विरोध पर भी जवाब दिया।

गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद मनरेगा में गड़बडिय़ां सामने आ रही थी, जिन्हें रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने कहा कि सरपंच और सरकारी अधिकारी मिलकर के मजदूरों के जॉब कार्ड अपने पास रखते थे, भ्रष्टाचार करते थे। एक ही काम कई बार दिखाकर पैसे उठाते थे। बिना काम के भुगतान किया जाता था। इसके चलते 11 लाख से ज्यादा शिकायत भारत सरकार के पास मनरेगा के कामों को लेकर पहुंची थी।

सड़क सुरक्षा का संदेश साइकिल रैली से दिया

कोटा शहर के प्रमुख मार्गों से 100 से अधिक साइकिलिस्ट ने जागरूकता रैली निकाली।

कोटा, (निसं)। सड़क सुरक्षा का रखे ध्यान, ट्रैफिक नियमों का करों सम्मान, ड्राइविंग से पहले मोबाईल को करे पार्क जैसे जोशीले नारों से रविवार को कोटा की सड़कों पर गुजरते साइकिल चालकों ने प्रेरणा का संदेश दिया। घोर कोहरे की परवाह ना करते हुये साइकिल चालकों ने सड़क पर चलने के नियम व यातायात नियमों की अनुपालना के संकल्प को दोहराया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु व पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य संवर्धन एवं यातायात नियमों की पालना के उद्देश्य से साईकिल रैली का आयोजन रविवार को किया गया।

रैली संयोजक व कोटा सड़क सुरक्षा समिति के उपसचिव भुवनेश गुप्ता ने बताया कि साइकिल रैली रविवार को परिवहन विभाग (आरटीओ कार्यालय) से रवाना होकर परिवहन कार्यालय में संपन्न हुई। रैली में कोटा फन राईडर क्लब, कोटा सड़क सुरक्षा समिति, लॉयंस क्लब कोटा टेक्नो, लॉयंस क्लब कोटा साउथ, जेसीआई कोटा स्टार, टीम जीवनदाता, नरेंद्र साइकिल एलसीए व जोशिको ड्राइविंग सहित कई संस्थाओं का सहयोग रहा। मुख्य अतिथि जिला परिवहन अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस अवसर पर आरटीओ इंस्पेक्टर अवधेश सिंह डांगी, देवेन्द्र जोशी ने भी संबोधित किया। कोटा सड़क सुरक्षा समिति के उपसचिव व रैली संयोजक भुवनेश गुप्ता ने बताया कि 100 से अधिक साइकिल सवार सड़कों पर सामाजिक जिम्मेदारी व सुरक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश देते हुए चले। महिलाएं भी पीछे नहीं रही। महिलाओं में सुधा पटेल, निशा शर्मा, बुलबुल कंवर, पूनम, अनीता यादव व अन्नू पटेल का प्रमुख भागीदारी रही। इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी सुरेंद्र सिंह, कोटा फ़न राइडर क्लब से अक्षय पारीक, डॉ अशोक मूंदड़ा, राकेश सोनी, अशोक दाधीच, किशन झा, सहित कई जनों सहयोग रहा।

रावतभाटा में राहगीरों से लूटपाट करने वाली गैंग पकड़ी

कोटा, (निसं)। रावतभाटा रोड पर ग्राम कोलीपुरा एवं बोरावास के आस-पास सुनसान घाटियों में असमाजिक तत्वों द्वारा राहगीरो से लूटपाट करने के मामले में आरकेपुरम् पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है एवं दो बाल अपचारियों को निरूद्ध किया है। पुलिस टीम ने वारदात में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल भी जब्त की है।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि रावतभाटा रोड पर ग्राम कोलीपुरा एवं बोरावास के आस-पास सुनसान घाटियों में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सड़क पर रात्रि में आने जाने वाले राहगीरों के वाहनों पर पत्थरों से हमला कर लूटपाट करने के इरादे से रूकवाया जा रहा है। उक्त शिकायत संज्ञान में आने के बाद रावतभाटा रोड़ पर ग्राम कोलीपुरा एवं बोरावास के आस-पास पुलिस की गश्त को बढ़ाया गया था। शहर एसपी ने बताया कि 9 जनवरी को फरियादी ने आरकेपुरम् थाने मे रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा कि 27 दिसम्बर 2025 की रात्रि को कोटा से रावतभाटा लोडिंग गाड़ी से गैस सिलेण्डरों की डिलिवरी करने जा रहा था। रिपोर्ट में कहा कि कोलीपुरा की घाटीयो के पास पहुंचा तभी एक मोटरसाइकिल पर 3-4 व्यक्ति सवार होकर आये और गाड़ी को रूकवाकर पहले तो पत्थर फेंकर गाड़ी के आगे का सीसा तोड़ दिया। उसके बाद लूट का प्रयास करने लगे तभी सड़क पर दूसरा वाहन आने से पकड़े जाने के भय से हमलावर बाइक से जंगल की तरफ भाग गये।

कोटा में आरकेपुरम पुलिस टीम ने राहगीरों से लूटपाट करने वाले चार आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया।

शहर एसपी ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिये पुलिस उप अधीक्षक मनीष शर्मा के सुपरविजन में आरकेपुरम् थानाधिकारी रामविलास मीणा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने मुखबिर, आसूचना संकलन एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करते हुए चार आरोपी रमेश गुर्जर, देवकिशन गुर्जर, माधु उर्फ माधव गुर्जर एव लक्ष्मण गुर्जर को बापर्दा गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। साथ ही दो बाल अपचारियों को विधि संघर्षरत निरूद्ध किया एवं वारदात में प्रयुक्त दो मोटरसाईकिल को जब्त किया गया है।

तेज रफ्तार कार ने बच्ची को कुचला

कोटा, (निसं)। आरकेपुरम थाना इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे में सात महीने की मासूम बच्ची की मौत हो गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आरकेपुरम् इलाके के मार्बल चौराहे के समीप एक तेज रफ्तार कार चालक ने लापरवाही पूर्वक कार को चलाते हुए सड़क पर एक मासूम बच्ची को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से गंभीर रूप से घायल बच्ची को उपचार के लिये अस्पताल लाया गया, जहां बच्ची की मौत हो गई।

आरकेपुरम् थने के थानाधिकारी रामविलास मीणा ने बताया कि मार्बल चौराहे के समीप एक सात माह की बच्ची को तेज रफ्तार कार चालक ने टक्कर मार दी। कार की टक्कर से मासूम की मौत हो गई, मृतक बालिका सात महिने की लक्ष्मी थी।

थानाधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर टक्कर मारने वाले कार चालक की तलाश जारी हैं। मृतका के परिजन मजदूरी करते हैं।

एनजीटी ने राज्य सरकार से ग्रीन टैक्स की राशि के उपयोग पर जवाब तलब किया

एन.जी.टी. द्वारा जाजू की याचिका पर परिवहन आयुक्त, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित छह को नोटिस जारी, वाहन प्रदूषण पर एन.जी.टी. सख्त

भीलवाड़ा, (निसं)। राजस्थान में बढ़ते वाहन प्रदूषण और वाहनों से वसूले जा रहे ग्रीन टैक्स के कथित दुरुपयोग को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) सेंट्रल ज़ोन बेंच भोपाल ने सख्त रुख अपनाया है। पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधिपति शिवकुमार सिंह एवं एक्सपर्ट मेंबर सुधीर कुमार चतुर्वेदी की बेंच ने राजस्थान सरकार से ग्रीन टैक्स की राशि के उपयोग को लेकर जवाब तलब किया है।

एनजीटी में 8 जनवरी 2026 को हुई सुनवाई के दौरान आवेदक बाबूलाल जाजू की ओर से अधिवक्ता लोकेन्द्र सिंह कच्छावा ने बताया कि राजस्थान में वाहनों से होने वाला प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जिससे दमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। इसका सर्वाधिक असर बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं पर पड़ रहा है। जाजू ने याचिका में बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से ग्रीन टैक्स लागू किया था। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक लगभग 2009.66 करोड़ की राशि ग्रीन टैक्स के रूप में वसूली गई, लेकिन यह राशि ग्रीनरी बढ़ाने और वायु प्रदूषण नियंत्रण में उपयोग नहीं की गई। जाजू ने बताया कि आजादी के समय प्रदेश में 13 प्रतिशत भूमि वनों से आच्छादित थी जो 9 प्रतिशत रह गई है और सघनता 0.8 से 0.3 रह गई है ऐसे में यह राशि हरियाली बढ़ाने पर खर्च की जानी चाहिए।

एनजीटी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सचिव रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे मंत्रालय, परिवहन आयुक्त राजस्थान, सदस्य सचिव राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रमुख सचिव पर्यावरण, प्रमुख सचिव नगरीय विकास और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही एनजीटी ने एक संयुक्त जांच समिति का गठन किया है, जिसमें पर्यावरण विभाग, परिवहन विभाग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति स्थल का निरीक्षण कर ग्रीन टैक्स के उपयोग और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर छह सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। जाजू ने कहा कि यदि ग्रीन टैक्स जैसी बड़ी राशि का सही उपयोग होता तो आज राजस्थान के कई शहर जहरीली हवा से जूझ नहीं रहे होते। उन्होंने मांग की कि ग्रीन टैक्स की राशि का उपयोग पारदर्शिता के साथ केवल प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण में ही किया जाए।

गौहत्या मामले में तीन और आरोपी गिरफ्तार

- पुलिस ने छह आरोपियों की परेड कराई
- अब तक कुल छह आरोपी गिरफ्तार, लगातार दूसरे दिन भी पुलिस गश्त जारी रही

पोकरण, (नि.सं.)। पुलिस थाना पोकरण क्षेत्र में हुई गौवंश की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर अभिषेक शिवहरे के निर्देश पर की गई।

पुलिस के अनुसार 7 जनवरी 2026 की रात्रि को बदमाशों द्वारा एक गौवंश की हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में प्रार्थी राजूसिंह पुत्र डूंगरसिंह राजपूत, निवासी बिलिया द्वारा पुलिस थाना पोकरण में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण प्रवीण कुमार के निर्देशन एवं वृत्ताधिकारी पोकरण भवानी सिंह (आरपीएस) के सुपरविजन में थानाधिकारी भारत रावत के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा आसूचना संकलन एवं तकनीकी अनुसंधान के बाद तीन वांछित आरोपियों को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी मुजीब पुत्र आमदीन, बरकत अली पुत्र मुजीब, बासित खान पुत्र अब्दुल गफार खान है।

पुलिस ने बताया कि इस प्रकरण में इससे पूर्व 9 जनवरी 2026 को तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस प्रकार अब तक कुल छह आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है तथा अनुसंधान जारी है।

पूर्व राष्ट्रपति कल जोधपुर आयेंगे

जोधपुर, (कासं)। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 13 से 15 जनवरी तक जोधपुर प्रवास पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रामनाथ कोविंद मंगलवार, 13 जनवरी को दोपहर 3:20 बजे जोधपुर पहुंचेंगे। वे 3:50 बजे जोधपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान कर 4:05 बजे ताज हरि महल, रेजिडेंसी रोड पहुंचेंगे, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे।

बुधवार, 14 जनवरी को पूर्व राष्ट्रपति प्रातः 11:15 बजे सोजत सिटी, जिला पाली के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां वे श्रीमद् भागवत कथा समिति, सोजत सिटी द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा एवं सहस्त्र चंडी महायज्ञ में सहभागिता करेंगे।

इसके उपरांत वे रात्रि 7:30 बजे पुनः जोधपुर पहुंचकर ताज हरि महल में रात्रि विश्राम करेंगे। गुरुवार, 15 जनवरी को रामनाथ कोविंद अपराह्न 3:30 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे तथा 4:00 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।

हिस्ट्रीशीटर की हत्या के मामले में एक और आरोपी पकड़ा

- सीमलवाड़ा उपप्रधान के पति-बेटे सहित 4 जने पहले ही पकड़े जा चुके

डूंगरपुर, (निसं)। धम्बोला थाना पुलिस ने लिखीबड़ी गांव में हिस्ट्रीशीटर भूपत सिंह की हत्या के मामले में एक और फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस पहले ही सीमलवाड़ा उपप्रधान के पति और उनके बेटे सहित 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

धम्बोला थानाधिकारी देवेंद्र देवल ने बताया कि यह घटना 1 नवंबर को हुई थी। लिखीबड़ी निवासी मीनाक्षी ने 2 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके पति भूपत सिंह श्रमिकों को छोड़ने सीमलवाड़ा गए थे। बाद में सूचना मिली कि सारोली निवासी जीवराम अहारी और उसका बेटा राजनारायण अहारी सहित अन्य लोग भूपत सिंह के साथ मारपीट कर रहे हैं।

मीनाक्षी जब मौके पर पहुंचीं, तो भूपत का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। मीनाक्षी ने पुलिस को बताया कि भूपत सिंह ने जीवराम को 3 लाख रुपये उधार दिए थे, जिसे वह लौटा नहीं रहा था। इसी विवाद के चलते जीवराम ने अपने बेटे और अन्य साथियों के साथ मिलकर भूपत सिंह की हत्या कर दी। पुलिस ने मीनाक्षी की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। छानबीन के बाद पुलिस ने सारोली निवासी जीवराम, उसके बेटे राजनारायण और उनके दो साथी बापूलाल व प्रकाश को गिरफ्तार किया था। इसके अतिरिक्त, दो नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया था। इस मामले में एक आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस ने अब आरोपी राहुल (19) पुत्र गोपाल अहारी मीणा निवासी अलवर, थाना धम्बोला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने पुरानी रंजिश के चलते हिस्ट्रीशीटर भूपत सिंह की हत्या की थी। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है।

रामनारायण हत्या के दो मुख्य आरोपी सहित तीन गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के रायला थाना क्षेत्र में 31 दिसंबर की रात हुई रामनारायण जाट की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में फरार चल रहे दो मुख्य आरोपियों और उनकी मदद करने वाले एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। रायला थाना क्षेत्र में नए साल की पूर्व संध्या पर हुई एक हत्या की गुत्थी को पुलिस ने पूरी तरह सुलझा लिया है। यह मामला महज एक सड़क हादसा नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश थी।

जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर 2025 की रात करीब 9:30 बजे लाम्बिया कलां निवासी रामनारायण जाट को एक वरना कार ने जानबूझकर टक्कर मारी और कुचलकर उनकी हत्या कर दी। जांच में सामने आया कि यह हत्या जमीन विवाद और पुरानी रंजिश के चलते की गई थी।

जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य व वृताधिकारी जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में रायला थानाधिकारी मूलचंद वर्मा की टीम ने त्वरित कार्रवाई की।

पुलिस ने मामले में फरार आरोपी कमलेश धाकड़ (32) और मिट्ठू लाल जाट (37) को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने मुख्य साजिशकर्ता सत्यनारायण जाट (जो पहले ही गिरफ्तार हो चुका है) के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। इसके अलावा, पुलिस ने देवेंद्र सिंह भाटी (22) को भी गिरफ्तार किया है।

अवैध हथियार सहित दो गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। रेलवे कॉलोनी पुलिस टीम ने दो अलग-अलग कार्यवाही करते हुए अवैध हथियार सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रेलवे कॉलोनी थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि थाने के सहायक उप निरीक्षक देवकरण ने मुखबीर की सूचना पर मय जाप्ता रंगपुर पुलिया के नीचे एक जने को डिटेन कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से दो अवैध जिंदा कारतूस बरामद किये। पुलिस टीम ने मौके पर गाजियाबाद निवासी अरूण तेवतिया (31) को गिरफ्तार किया। रेलवे कॉलोनी थानाधिकारी ने बताया कि वहींथाने के सहायक उप निरीक्षक बृजलाल को मय जाप्ता इलाके में गश्त के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि सरकारी स्कूल भदाना के पीछे कोई संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है। सूचना पर पुलिस पहुंची और मुखबीर द्वारा बताये गये हुलिये के आधार पर मौके पर खड़े व्यक्ति को डिटेन कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर एवं एक जिंदा कारतूस बरामद किया। महावीर कॉलोनी निवासी विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया।

अस्पताल की खुदाई में निकले 1100 कारतूस

बीकानेर। महाजन में एक अस्पताल की खुदाई में 1100 से ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अब कारतूस से भरा ये थैला कौन और कब छिपाकर गया, ये जांच का विषय है।

महाजन कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे निर्माण कार्य में खुदाई के दौरान मजदूरों को जिंदा कारतूसों का जखीरा मिला। एक बार तो मजदूरों में हड़कंप मच गया। बाद में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। थाना अधिकारी भजनलाल ने बताया कि स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निर्माण कार्य के दौरान ट्रैक्टर चलाया जा रहा था। जमीन को समतल करने के लिए चलाए गए ट्रेक्टर आगे बढ़ता, इससे पहले कुछ अटक रहा था। ट्रैक्टर में कुछ फंसा तो मजदूरों ने जाकर देखा तो एक प्लास्टिक का छोटा बोरा (कट्टा) फंसा हुआ था। इसमें कील जैसा कुछ सामान था। खोलकर देखा तो मजदूरों के होश उड़ गए। इस कट्टे में जिंदा कारतूस भरे हुए थे। मौके पर मौजूद सभी मजदूर घबरा गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कारतूसों को अपने कब्जे में लेकर क्षेत्र को सुरक्षित किया। पुलिस ने बताया कि ये एसएलआर (सेल्फ लोडेड रिवॉल्वर) के राउंड बरामद किए हैं। ये कारतूस काफी पुराने है।

पीपलोदी स्कूल हादसे के बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना मकान दान किया

झालावाड़ के पीपलोदी स्कूल हादसे के बाद मोरसिंह भील ने अपना मकान विद्यालय को दान किया

कोटा, (निसं)। झालावाड़ जिले के पीपलोदी में हुए दुर्भाग्यपूर्ण स्कूल हादसे ने पूरे क्षेत्र को गहरे शोक और चिंता में डुबो दिया था, लेकिन इसी अंधकारपूर्ण समय में मानवता और सामाजिक चेतना की एक उज्ज्वल किरण बनकर सामने आए पीपलोदी निवासी मोरसिंह भील, जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जब इरादे नेक हों और संवेदनाएँ जीवित हों, तो समाज स्वयं समाधान खोज लेता है। बच्चों की शिक्षा बाधित न हो, इसी उद्देश्य से मोर सिंह भील ने अपना स्वयं का मकान विद्यालय संचालन हेतु दान कर समाज के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। न्यू कोटा इंटरनेशनल सोसाइटी के तत्वावधान में कोटा में आयोजित हाड़ौती गौरव सम्मान 2026 समारोह में मोर सिंह भील को उनके इस अद्वितीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने उन्हें साफा पहनाकर, माल्यार्पण कर एवं शॉल ओढ़ाकर हाड़ौती गौरव सम्मान से नवाजा। विशेष बात यह रही कि संभागीय आयुक्त ने अपने सम्मान में प्राप्त साफा स्वयं मोर सिंह भील को पहनाकर उन्हें सम्मानित किया, जो इस त्याग और सेवा भावना के प्रति प्रशासन की गहरी संवेदना और सम्मान को दर्शाता है।

स्कूल भवन के उपयोग में असमर्थता के कारण पीपलोदी के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका थी। अभिभावकों और शिक्षकों के समक्ष भविष्य को लेकर चिंता गहराने लगी थी। ऐसे कठिन समय में मोर सिंह भील ने बिना किसी स्वार्थ और अपेक्षा के अपने निजी मकान को अस्थायी विद्यालय के रूप में उपलब्ध कराने की घोषणा की। उनके इस निर्णय से न केवल बच्चों की पढ़ाई को नया सहारा मिला, बल्कि पूरे गांव में सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास का संचार हुआ। मोर सिंह भील के इस मानवीय कदम की ग्रामीणों, सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों एवं जनप्रतिनिधियों ने खुले दिल से प्रशंसा की है। लोगों का कहना है कि ऐसे व्यक्तित्व ही कठिन समय में समाज की वास्तविक शक्ति बनते हैं। यह कदम सामाजिक उत्तरदायित्व और मानवीय संवेदना का जीवंत उदाहरण है। भले ही पीपलोदी स्कूल हादसा एक दर्दनाक घटना रही हो, लेकिन मोर सिंह भील का यह त्याग आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बन गया है। उनका यह कार्य यह संदेश देता है कि संसाधनों की कमी भी मजबूत इच्छाशक्ति और संवेदना के आगे बाधा नहीं बन सकती। निंसंदेह, मोर सिंह भील का यह योगदान शिक्षा, समाज और मानवता के प्रति एक ऐसा उदाहरण है, जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा। उनका नाम उन लोगों में दर्ज हो गया है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी दूसरों के भविष्य के लिए अपने सुख-सुविधाओं को पीछे छोड़ देते हैं।

कैलाश माली की हत्या का खुलासा, दो गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर ग्रामीण के कस्बा बिलाड़ा के उचियारड़ा बेरा में चांदी घड़ाई करने वाले कैलाश माली की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। आरोपियों ने लूट के इरादे से हत्या की थी। पुलिस ने मामले में दो आरोपी भींयाराम और मनोहर सीरवी को दबोच लिया, जबकि तीसरा साथी गोपाल सीरवी पुणे भाग गया। जिसकी तलाश में पुलिस टीम रवाना की गई है।

जानकारी के अनुसार 7 जनवरी की रात कैलाश माली अपने किराये के मकान में थे। यहां चांदी लूटने के लालच में भींयाराम, मनोहर और गोपाल ने पार्टी की। इसके बाद लूट के इरादे से उसके सिर पर वार कर उनकी हत्या कर दी। हत्या का पता 10 जनवरी को चला। जब उसके दादा चंद्राराम व गंगाराम पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। खिड़की से झांका तो खून से लथपथ लाश मिली। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची तो मौक़े से चांदी के गहने व मोबाइल गायब मिला। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद डीएसटी ने मुखबिर सूचना व तकनीकी डाटा से दोनों को पकड़ा। पुलिस ने आरोपी भींयाराम सीरवी, निवासी राठौड़ा का बेरा, उचियारड़ा व मनोहर सीरवी निवासी बर्फ़ का खारचिया बेरा, उचियारड़ा को गिरफ्तार किया। जबकि तीसरा साथी गोपाल फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस कार्रवाई में थाना अधिकारी सवाईसिंह, डीएसटी प्रभारी श्रवणकुमार भवरिया, हरेन्द्र लोहरा आदि शामिल रहे।